90/2021/I/89660/2021-71-2002(001)/2/2021

प्रेषक,

अनिल कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवामें,

निदेशक,
सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान एवं अस्पताल,
सी0जी0 सिटी लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 17 अगस्त, 2021

विषय- वित्तीय वर्ष 2020-21 में सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान एवं अस्पताल परिसर में निर्मित ओ0टी0 काम्पलेक्स के भूतल पर 100 शैय्या का कोविड वार्ड स्थापित करने हेतु आक्सीजन गैस लाइन एवं विद्युतीकरण कार्य हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त करने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक- एफओ0/सी0आई0/34/112/2021, दिनांक 11.08.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा संस्थान परिसर में निर्मित ओ0टी0 काम्पलेक्स के भूतल पर 100 शैय्या का कोविड वार्ड स्थापित करने हेतु आक्सीजन गैस लाइन एवं विद्युतीकरण कार्य की प्रायोजना हेतु मूल्यांकित लागत रू0 91.32 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 45.66 लाख अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- जनपद लखनऊ में सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान एवं अस्पताल परिसर में निर्मित ओ0टी0 काम्पलेक्स के भूतल पर 100 शैय्या का कोविड वार्ड स्थापित करने हेतु आक्सीजन गैस लाइन एवं विद्युतीकरण कार्य की लागत रू0 91.32 लाख (रू0 इक्यान्नवे लाख बत्तीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए शासनादेश संख्या-49/2021/1/65629/2021, दिनांक 13 मई, 2021 द्वारा रू0 45.66 लाख निर्गत की गयी थी। कोरोना महामारी के दृष्टिगत कार्यदायी संस्था द्वारा उपरोक्त कार्य पूर्ण कराया जा चुका है।

3- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान के 24-वृहद निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि में से उक्त अवशेष धनराशि रू0 45.66 लाख (अनुदान संख्या-31 से रू0 37.80 लाख एवं अनुदान संख्या-83 से रू0 07.86 लाख) अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैं:-

1) संस्थान के निदेशक/वित्त अधिकारी द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22 मार्च,2021में दी गयी व्यवस्था का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।
3) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा।
4) कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सैंटेज चार्ज दिया जायेगा।बाट आउट एवं प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य हेतु सेन्टेज अनुमन्य नहीं होगा।
5) आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन अनुमन्य होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
6) कार्यदायी संस्था को दो माह की आवश्यकता के अनुसार धनराशि अवमुक्त की जाएगी। विभागाध्यक्ष, कार्यालय में तैनात वित्त नियंत्रक का यह उत्तरदायित्व होगा कि धनराशि का कोषागार से आहरण दो-दो माह की आवश्यकता के अनुसार ही किया जाय।
7) सुसंगत नियमों और प्राविधानों का पालन करते हुए पारदर्शी प्रक्रिया के तहत प्राक्कलन में निर्धारित विशिष्टयों के अनुरूप समयबद्व रूप से गुणवत्तापूर्ण कार्य कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। प्रस्तावित समस्त कार्यो की गुणवत्ता व आडिट की जिम्मेदारी संस्थान के निदेशक एवं कार्यदायी संस्था की होगी।
8) प्रायोजना अंतर्गत प्रयुक्त सम्बन्धित उपकरण/संयत्र के क्रय में सुसंगत वित्तीय नियमों, उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट ऑफ गुड्स) 2016 के प्राविधानों तथा सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

द्वारा ई-टेण्डर /ई-टेण्डर/ई-प्रोक्योरमेन्ट/ गर्वमेन्ट, ई-मार्केट प्लेस (जेम) पोर्टल से सम्बन्धित शासनादेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

9) प्रायोजना में सम्मिलित, जो कार्य प्रोप्राइटरी श्रेणी का कार्य है एवं इनके शिड्यूल ऑफ रेटस उपलब्ध नहीं होते है तथा इनके मेक, मॉडल एवं स्पेसिफिकेशन के अंतर से लागत में अन्तर आना स्वाभाविक है। अतः निदेश्क, संस्थान द्वारा निर्माण के समय इसका कार्य एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर की जाय।

3- धनराशि को कोषागार से वित्त नियंत्रक/ वित्त अधिकारी, कैंसर संस्थान, लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा तथा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किया जायेगा।

4- प्रश्नगत पूर्ण प्रायोजना हेतु अवशेष धनराशि रू0 45.66 लाख चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के **अनुदान संख्या- 031-** चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के लेखाशीर्ष ''4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-59-कैंसर संस्थान, लखनऊ-24-वृहत निर्माण कार्य मद से **रू0 37.80 लाख** तथा **अनुदान संख्या-083**-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के लेखाशीर्ष''4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय -03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान- 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-24- वृहद निर्माण कार्य से **रू0 07.86 लाख** (**अर्थात कुल रू0 45.66 लाख मात्र**) के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 में निहित प्राविधानानुसार निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0शासन।
4. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
5. वित्त एवं लेखा अधिकारी, सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान एवं अस्पताल, लखनऊ।
6. महाप्रबन्धक(वि0अ0-1), उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम, लि0, गोमतीनगर, लखनऊ।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।